फर्द अहकाम

न्यायालय SDO जयपुर द्वितीय सांगानेर

मंगली बनाम जितेन्द्र

मुकदमा संख्या / वर्ष 1/202[illegible] : ____ / 20____

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/6/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन साहब के अन्य राजकार्य [illegible] में व्यस्त रहने / [illegible] द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/6/24 को प्रस्तुत हो।	
	25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 15/7/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस [illegible] व पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया [illegible] पत्रावली फैसल शामिल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 1/2022
निर्णय दिनांक : 29.07.2024

1. मंगली देवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी गांव नृसिंहपुरा अजमेर रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलाण्ट

वनाम

1. जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री वावूलाल
2. पिंकी चौधरी पुत्री वावूलाल
3. सरजू देवी पत्नी वावूलाल

सभी जातियाँ जाट निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हैं।

4. श्रीमान् तहसीलदार महोदय सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेण्ट्स

<u>अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 264 दिनॉक 05/07/2021 स्वीकृत किया गया।</u>

अपीलाण्ट की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, राजस्व ग्राम रामजीपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 208 रहना 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्वर 209 रकवा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 210 रकवा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 211 रकवा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 233 रकवा 0.9000 हैक्टेयर खसरा नम्वर 234 रकवा 0.6200 हैक्टेयर खसरा नम्वर 935 रकवा 0.9200 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकवा 4.10 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व जमावन्दी में उक्त भूमि वावूलाल पुत्र राजा का हिस्सा 1/10 दर्ज व अंकित था। उक्त खातेदार भूमि पर काविज काश्त चले आ रहे थे और और राजस्व लगान अदा करते आ रहें है। उपरोक्त भूमि में वावूलाल पुत्र कानाराम द्वारा जरिये मुख्त्यारआम अपना हिस्सा 1/10 का 125/410 अर्थात् ०.च1250 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12/12/2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 244 के पृष्ठ संख्या 61 क्रम संख्या 2013400012303 पर पंजीवद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या । जिल्द संख्या 974 के पृष्ठ संख्या 125 [illegible] को क्रय कर अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द कर दिया। अपीलान्टस उक्त [illegible] पर काविज होकर विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण [illegible] को मय विक्रय पत्र की नकल प्रस्तुत कि[illegible] विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने की प्रार्थना की तथा भूमि पर [illegible]विज होकर काश्त करने लगे। विक्रेता खातेदार वावूलाल की मृत्यु दिनांक 10/5/2021 को होने पर अपीलान्ट को यह जानकारी हुई कि अभी तक भूमि रहन होने के कारण विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है एवं विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने की संभावना है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार बगरू को दिनांक 29/6/2021 को मय विक्रय पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाबूलाल पुत्र कानाराम द्वारा अपना हिस्सा 1/10 का 125/410 अर्थात् 0.1250 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा क्रय कर ली गई है। जिस पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही किया जावे उक्त प्रार्थना पत्र तहसील रिसिव रजिस्टर क्रमांक 982 पर दर्ज व अंकित किया गया।उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात अपीलान्ट अपने कार्यो मे व्यस्त हो गई एवं पक्षकारो से रहन मुक्ति हेतु निवेदन करती रही परन्तु अभी हाल ही में दिनांक 20/3/2022 को जमाबन्दी की नकल ली तो ज्ञात हुआ कि भूमि विक्रय करने के पश्चात भी विक्रेता बाबूलाल पुत्र कानाराम के वारिसों द्वारा बदनियती पूर्वक भूमि विक्रय के तथ्यों को छुपाते हुये सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिस पर अपने अधिवक्ता की राय के अनुसार नामान्तकरण की नकल दिनांक 20/3/2022 को प्राप्त की, नकल प्राप्त होते ही जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी०पी०सी० के साथ उक्त नामान्तकरण से व्यतिथ होकर अपीलान्ट द्वारा श्रीमान् के समक्ष अपील निम्नलिखित वजूहात सहित प्रस्तुत है।

आधारः—अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरुद्ध, गैर कानूनी, राजस्व अभिलेखों के विपरीत होने की वजह से अपास्त किये जानें योग्य हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सहकाश्तकारों से किसी प्रकार की कोई जानकारी किये बिना बिना कब्जे की जाचं किये मनमानी कार्यवाही करते हुये नामान्तकरण तरदीक किया जो नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता बाबूलाल से उसका का हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12/12/2013 के द्वारा क्रय कर भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट ने गुपचुप तरीके से बाद जानकारी उक्त नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का व भू—निरीक्षक को अपीलाधीन विक्रय पत्र की भली भांति जानकारी होते हुये भी उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया। एक बार हिस्सेदार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने के पश्चात उनके वारिसान् को उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा शेष नही रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार बगरू को प्रार्थना पत्र दिनांक 29/6/2021 के द्वारा यह सूचना प्रदान कर दी गई थी कि बाबूलाल पुत्र काना द्वारा अपने हक व अधिकार की भूमि में हिस्सा 1/10 का 125/410 अर्थात् 0.1250 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट को विक्रय कर दी है जिस पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जावें। इस बाबत् प्रार्थना पत्र तहसील प्राप्ति रजिस्टर क्रमांक 982 पर दर्ज रजिस्टर किया गया, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सूव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी कृषि भूमि का अन्तरण विधि द्वारा निहीत विधिक प्रक्रियों द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता हैं। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्ययायालय ने नामान्तकरण की पुस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पर ऐसा कोई अंकन नही किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण पारस्परीक साझ पूर्वक खोला गया है जो विधि विधान होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विधान के विरूद्ध लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सिद्धान्तो के विरूद्ध तस्दीक किया गया है जो पूर्णतः विधि विधान एवं न्याय के निहीत सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन प्रश्नागत् भूमि की कब्जे की जाचं नही की बिना कब्जे के बिना मौके की स्थिति देखे जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के अन्य सहकाश्तकारों को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखनें एवं वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का मौका नही दिस। बिना उनको सुने वास्तविकता से परे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य आधार बरवक्त बहस माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जावेगें। अपील जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद पेश है इस संबंध में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर म्यांद शुमार किये जानें योग्य है। अपीलान्ट्स ने अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार बाबूलाल से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12/12/2013 के द्वारा क्रय कर भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था ऐसे में अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट्स पीडित पक्षकार है। जिस कारण अपीलान्ट्स ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है। जिसकी अनुमति प्रदान की जावें।

अतः अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 05/7/2021 को अपास्त कर विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 उपस्थित होकर जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश किया अंत में निवेदन किया कि जवाव प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अप्रीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत, स्थगन प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 एवं अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई। दौराने अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अंत में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 05/7/2021 को अपास्त कर विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम रामजीपुरा बास नेवटा, पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नेवटा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 208 रहना 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 209 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.9000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 234 रकबा 0.6200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 935 रकबा 0.9200 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.10 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व जमाबन्दी में उक्त भूमि बाबूलाल पुत्र राजा का हिस्सा 1/10 दर्ज व अंकित था। उपरोक्त भूमि मे बाबूलाल पुत्र कानाराम द्वारा जरिये मुख्त्यारआम अपना हिस्सा 1/10 का 125/410 अर्थात् ०. 1250 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12/12/2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 244 के पृष्ठ संख्या 61 क्रम संख्या 2013400012303 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या । जिल्द संख्या 974 के पृष्ठ संख्या 125 से 137 पर चस्पा किया गया, को क्रय कर अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। जिसका विधिअनुसार नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है। परन्तु उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिक कारण अंकित किये मनमाने रूप से अस्वीकार किया है। जो कि न्यायोचित प्रतित नही होता है। इसलिये ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 05.07.2021 को खारिज किया जाकर प्रकरण विधि अनुसार निर्णय हेतु तहसीलदार सांगानेर को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 05.07.2021 को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी के हक में विधिअनुसार रजिस्टर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने हेतु प्रकरण को तहसीलदार सांगानेर को प्रति प्रेषित किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सॉगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested